6

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का समूची बनाम महेश S/o रामजीलाल मीना

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या – 58/2018/RA

निर्णय दिनांक – 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम समूची की आ.ख.न. 810/1 कुल रकबा 0-91 किस्म जमीन गैरमु० रा० में से 0.03 रकबे पर श्री महेश S/o रामजीलाल पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर निर्माण व जोत कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का समूची द्वारा दिनांक ..... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईट भू.अ.निरी. रेकलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी महेश S/o रामजीलाल जाति मीना निवासी समूची को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 810/1 रकबा 0.91 में से 0.03 रकबे किस्म गैरमुमकिन जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा बौरसायस्त को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 60 गुणा 3/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी समूची भू.अ.निरी. रेकली रेल को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

कठूमर (अलवर) राज०

प्रतिलिपि – प.ए.

त. से. स. के 188 के 80 कम से 2
दिनांक 20/8/19 को नहीं राशि रु. 3/-
की कार्यवाही की गई

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०